भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 969
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

†969. श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः
श्री बंटी विवेक साहूः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना का ब्यौरा क्या है और इसे किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया गया है;

(ख) आयुष्मान वय वंदना कार्ड का लाभ जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग, विशेषकर ग्रामीण, पिछड़े और वंचित क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या भविष्य में देश में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा लाभों या सेवाओं को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में इस योजना की प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार ने दिनांक 29.10.2024 को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का मुफ्त उपचार संबंधी लाभ प्रदान किया जा सके। यह योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी एबी-पीएमजेएवाई लागू वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई के पास ग्रामीण और पिछडे़ क्षेत्रों में लाभार्थियों को उनके अधिकारों और पात्रता संबंधी जागरूकता फैलाने और उन्हे सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन शामिल हैं जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटक, डिजिटल प्रदर्शनों, रेडियो अभियानों, जन संदेश, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थियों के साक्षात बखान के प्रसारण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं अर्थात आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमियों) के व्यापक नेटवर्क को भी शामिल किया है, जो जमीनी स्तर पर जन जागरूकता फैलाने में काफी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड लाभार्थी किसी भी सहायता/पूछताछ के लिए 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा, राज्यों द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी कार्यकलाप भी किए जाते हैं।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) नवीनतम के राष्ट्रीय मस्टर में यह योजना, सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, हड्डी-रोग, हृदय रोग, कैंसर विज्ञान आदि सहित 27 चिकित्सा विशिष्टताओं में 1961 की प्रक्रियाओं से संबंधित नकदी रहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य संबंधी लाभ पैकेजों को और अधिक अनुकूलित करने की छूट दी गई है। समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार, योजना में नई प्रक्रियाओं को शामिल करने, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करने, नए लाभार्थीयों को शमिल करने और अन्य सुधारों जैसे नियमित अद्यतनीकरण किए जाते हैं।

(ङ): मध्य प्रदेश में बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

मध्य प्रदेश में बने आयुष्मान वय वंदना कार्डों का जिला-वार विवरण

जिला	बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या
अगर मालवा	13,261
अलीराजपुर	5,949
अनूपपुर	15,468
अशोकनगर	14,980
बालाघाट	57,787
बरवानी	19,493
बेतूल	42,263
भिंड	22,080
भोपाल	46,989
बुरहानपुर	14,842
छतरपुर	48,979
छिंदवारा	44,324
दामोह	24,968
दतिया	14,023
देवास	29,959
धार	38,274
डिंडोरी	13,669
गुना	20,765
ग्वालियर	42,202
हरदा	12,612
इंदौर	74,844
जबलपुर	33,079
झबुआ	14,447
कटनी	25,105
खंडवा	24,506
खारगौन	34,997
मैहर	14,470
मंडला	20,511
मन्दसौर	27,379

मऊगंज	7,303
मुरैना	21,897
नर्मदापुरम	26,591
नरसिंहपुर	25,068
नीमच	15,275
निवाड़ी	10,556
पंधुरना	7,610
पन्ना	15,876
रायसेन	27,821
राजगढ़	45,867
रतलाम	24,977
रीवा	32,994
सागर	56,444
सतना	27,848
सीहोर	28,710
सिवनी	28,081
शाहडोल	16,421
शाजापुर	19,728
श्योपुर	8,320
शिवपुरी	21,694
सीधी	21,013
सिंगरौली	14,001
टीकमगढ़	17,588
उज्जैन	70,565
उमरिया	11,802
विदिशा	28,625

******